सेक्टर ऑफिसर
हेतु

साधारण निर्वाचन 2014

सेक्टर ऑफिसर हेतु

1. कार्य और दायित्व

i.	निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा के दिन से मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन प्रबंधन हेतु उत्तरदायी – यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार के अधिकारियों को भी तैनात किया जा सकता है।
ii.	अत्यधिक उत्तरादायित्व पूर्ण पद; काबिल अधिकारियों का पता लगाना –निर्वाचन अनुसूची की घोषणा के तुरंत बाद मतदान प्रक्रिया तक तैनाती – उन्हें मतदान के दिन से कम से कम 7 दिन पहले उस क्षेत्र के लिए जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में पद नामित किया जाएगा। उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी दी जाएंगी।
iii.	10-12 मतदान स्थलों वाले संभव मार्ग (1 से 2 घंटे) सौंपे जाने चाहिएं।
iv.	सेक्टर, पर्याप्त समय पूर्व बना लिए जाएं।
v.	निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे पर मार्ग चित्रित किए जाने चाहिए।
vi.	नियुक्ति के तुरंत बाद उनके पास सेक्टर का नक्शा उपलब्ध होना चाहिए।
vii.	डीईओ/आरओ और पर्यवेक्षकों को बार-बार (साप्ताहिक) सेक्टर ऑफिसर के साथ समीक्षा बैठकें करनी होंगी और उन्हें सौंपे गए तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी करनी होगी।
viii.	उन्हें पहले से अर्थात निर्वाचन की अधिसूचना से एक सप्ताह पहले एक वाहन उपलब्ध कराना चाहिए।
ix.	संप्रेषण योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

2. मतदान पूर्व दायित्व – मतदान स्थान के बारे में

i.	पुष्टि करना कि क्या नक्शे में चित्रित मार्ग संभव है – वहां तक पहुंचना और सुलभता सुनिश्चित करना।
ii.	मतदान केन्द्र पर अवसंरचना – पानी, छाया, रैंप, शौचालय, टेलीफोन और इमारत की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करना (प्रपत्र-1)
iii.	यह सुनिश्चित करना कि नए मतदान केन्द्रों का व्यापक प्रचार किया गया है।
iv.	फोन नं. एकत्र करने और मतदान केन्द्र पर मोबाइल संपर्कता सुनिश्चित करना।
v.	दल कार्यालय, क्या वे मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में स्थित हैं।
vi.	वह, अप्राधिकृत प्रचार वाहनों की आवाजाही, संपत्ति को विरूपित करने, अनाधिकृत प्रचार, सार्वजनिक इमारतों/सरकारी वाहनों/सरकारी कर्मचारियों के दुरूपयोग तथा एमसीसी के सभी संभव उल्लंघनों पर नजर रखेगा और उनकी रिपोर्ट तैयार करेगा।

3. मतदान पूर्व उत्तरदायित्व – मतदाताओं के विषय में

i.	प्रमुख क्षेत्र में मतदाताओं को ईवीएम का प्रदर्शन
ii.	ईपीआईसी कवरेज कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना देना।
iii.	मतदाताओं के हेल्पलाइन नंबरों और उनके मतदान केन्द्रों की सूचना देना।
iv.	मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से पीईआर में उनके नाम और प्रविष्टियों की जांच करने के लिए सूचना देना।

4. मतदान पूर्व उत्तरदायित्व – मानचित्रण असुरक्षा के विषय में

i.	लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के उपाय और मानचित्रण असुरक्षा में सुधार लाने के लिए, आसूचना एकत्र करके लोगों के साथ बार-बार मुलाकत करना और उनसे व्यापक विचार विमर्श करना।
ii.	संवेदनशीलता संबंधी मापन (ईसीआई संख्या, 464/अनुदेश/ईपीएस/2011, दिनांक 05.03.2011)
iii.	भय और धमकी के प्रति असुरक्षित गांवों, बस्तियों तथा मतदाताओं के संभागों तथा वर्गों का पता लगाना।
iv.	उन लोगों का पता लगाना जो इन्हें असुरक्षित बनाते हैं – इसमें संख्या की बात नहीं है- इसमें नाम की बात है – ऐसे प्रत्येक

	स्थान/खंड के विषय में निर्धारित प्रपत्र में अलग-अलग सूचना, स्रोत के विषय में सूचना दिए बगैर, आरओ/डीईओ को देगा जिसकी एक प्रति वह स्वयं रखेगा **(***प्रपत्र-***2)**
v.	*मतदान के लिए मतदाताओं की स्वतंत्र पहूंच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी।*
vi.	*असुरक्षित समुदाय में उनके टेलीफोन नंबरों सहित संपर्क स्थल।*
vii.	*एस ओ जोनल मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाएगा, इसलिए उसके साथ पुलिस अधिकारी रहेगा।*
viii.	*चूंकि एसओ जोनल मजिस्ट्रेट का कार्य करेगा, अत: वह जोनल मजिस्ट्रेट योजना तैयार करेगा जिसमें मतदान केन्द्रों का नक्शा, मतदान केन्द्र तथा निर्वाचन संबंधी अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों के टेलीफोन नं. की सूची, जिम्मेदार व्यक्तियों की सूची, समाज-विरोधी तत्वों की सूची आदि शामिल होगी।*

5. *मतदान की पूर्व संध्या पर दायित्व*

i.	*सुनिश्चित करेगा कि मतदान करवाने वाला दल तथा सभी सामग्री संबंधित मतदान केन्द्रों पर पहुंच गई है।*
ii.	*सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा बल, योजना के अनुसार मतदान केन्द्रों पर पहुंच गया है।*
iii.	*मतदान कर्मियों के बीच ईवीएम के संचालन अथवा मतदान प्रक्रिया के विषय में अंतिम समय तक किसी प्रकार के संदेह को दूर करेगा।*
iv.	*पूरी तरह संतुष्ट होने पर, नियंत्रण कक्ष को सब कुछ ठीक होने* **(***ओ.के.***)** *की रिपोर्ट देगा।*

6. *मतदान वाले दिन का दायित्व*

i.	*मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल स्थिति सुनिश्चित करेगा – यदि कोई समस्या हो तो सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।*
ii.	*उस मतदान केन्द्र का बार-बार दौरा और ध्यान देगा जहां एजेंटों की अनुपस्थिति में मॉक पोल किया जाना था।*
iii.	*बिना विलंब के मतदान शुरू होने की सूचना देना।*
iv.	*सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्रों पर तैनात सुरक्षा बल उपस्थित है।*
v.	*जहां आवश्यक हो, ईवीएम को बदलना* **(***एसओ के पास अतिरिक्त ईवीएम रहेगी***)**
vi.	*मतदान एजेंटों की उपस्थिति/अनुपस्थिति का पता लगाना और सूचना देना।*
vii.	*मतदान करवाने वाले दल को मतदान केन्द्र में कार्यवाही में सहायता करना।*
viii.	*मतदान प्रक्रिया की पूरी शुचिता बनाए रखना और मतदान केन्द्र का दौरा करने के दौरान मतदान संबंधी सभी पहलुओं की जांच करना।*
ix.	*मॉक पोल प्रमाणन सुनिश्चित करना – मॉक पोल स्थिति की सूचना आरओ को* **30** *मिनट के भीतर देनी होगी* **(***ईसीआई सं.* **51/8/7/2008-***ईएमएस, दिनांक* **15.07.08)**
x.	*मतदान प्रणाली की जांच करना – किसी सेगमेन्ट/सक्शन की अनुपस्थिति सुस्पष्ट है तो आरओ को निवारक उपाय के लिए सूचित करना।*
xi.	*निर्देशानुसार आरओ को समय-समय पर मतदान प्रतिशतता की सूचना देना।*
xii.	*मतदान वाले दिन की शिकायतों को निपटाना।*
xiii.	*पुष्टि करना कि असुरक्षित स्थानों/समुदायों के मतदाता, मतदान के लिए तैयार है या नहीं। यदि नहीं तो आरओ/डीईओ को सूचित करना ताकि मुस्तैद दस्ता भेजा जा सके।*
xiv.	*मतदान दलों द्वारा ईवीएम मशीन को सील करने और कागजातों को तैयार करने की जांच करना।*
xv.	*मतदान दल के साथ ईवीएम मशीन को प्राप्ति केन्द्र तक पहुंचाने में साथ देना।*
xvi.	*आरक्षित दलों से मतदान कर्मियों को प्रतिस्थापित करना।*
xvii.	*मतदान कर्मियों को मानदेय वितरण सुनिश्चित करना।*
xviii.	*मतदान समाप्त होने पर वह सुनिश्चित करेगा कि –* (क) *पीठासीन अधिकारी की डायरी उपयुक्त ढंग से भरी गई है।* (ख) *ईवीएम मशीनें ठीक से सील की गई हैं।* (ग) **17** *ग फार्म की प्रतियां मतदान एजेंटों को दी गई है।*

	(घ) **17** क का रजिस्टर ठीक से भरा गया है। पर्यवेक्षक को प्रस्तुत की जाने वाली जन संपर्क अधिकारी की अतिरिक्त रिपोर्ट का फार्मेट XV ठीक से भरा गया है।

7. मतदान के बाद, मतदान के संबंध में आरओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करना **(**प्रपत्र-**3** संलग्न**)**।

8. सेक्टर ऑफिसर के पास निम्नलिखित सूचना और सुविधाएं होनी चाहिए

i.	सेक्टर ऑफिसर सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, विशेषकर ईवीएम, निर्वाचन प्रबंधन, मतदान प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है।
ii.	सेक्टर ऑफिसर के पास डीईओ द्वारा जारी पहचान पत्र होना चाहिए तथा वह सदैव सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने सेक्टर में दौरे के समय अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करें।
iii.	सेक्टर ऑफिसर के पास प्रत्येक मतदान बूथ में मतदाताओं की संख्या समेत उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों की सूची होनी चाहिए।
iv.	संप्रेषण योजना।

9. सेक्टर ऑफिसर को दी जाने वाली सामग्री –

सेक्टर ऑफिसर सुनिश्चित करेगा कि उनके पास निम्नलिखित सभी सामग्री है –

i.	पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा बूथ स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने वाली प्रशिक्षण सामग्री।
ii.	उसके सेक्टर का विस्तृत मानचित्र
iii.	उसके क्षेत्र में अधिसूचित मतदान केन्द्रों की सूची
iv.	उसके सेक्टर में मौजूद मतदाता हेल्पलाइनों का ब्यौरा
v.	आरक्षित ईवीएम
vi.	आरओ/डीईओ को प्रस्तुत वीएम-एसओ **(**प्रपत्र-**2)** की प्रति।

10. सेक्टर ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें

i.	सेक्टर ऑफिसर अपनी नियुक्ति के बाद, उसके द्वारा किए गए प्रत्येक क्षेत्र दौरे के संबंध में आरओ और डीईओ को संलग्न प्रपत्र-**1** एवं **2** के अनुरूप अपनी दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
ii.	सेक्टर ऑफिसर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रपत्र-**3** में भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें वह मतदान समाप्त होने के बाद मतदान वाले दिन के क्रियाकलापों का ब्यौरा देगा। यह रिपोर्ट आरओ को सौंपी जाएगी।

प्रपत्र-1

सेक्टर ऑफिसर (निर्वाचन क्षेत्र.....) द्वारा
सेक्टर में विभिन्न दौरों की रिपोर्ट देने का प्रपत्र

सेक्टर का नाम : **सेक्टर अधिकारी का नाम**

क्र.सं.	दौरा किए गए मतदान केन्द्रों की सं.	अवसंरचना (हां/नहीं/रिपोर्ट)					मतदाताओं की सं.	क्या बीएलओ दौरे के दौरान आपके साथ रहा (हां/नहीं)	संवेदनशीलता मानचित्रण	मतदान केन्द्र, गांव एवं आवाह क्षेत्र में देखी गई कोई खास बात
		रैंप	पहुंचने का मार्ग	पानी	छाया	भूतल के मतदान केन्द्र				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
जारी...										

टिप्पणियां :

सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर :

दौरे की तारीख :

क. असुरक्षित घरों/परिवारों की सूची

क्र.स.	*मकान सं./परिवार का नाम/घर/ परिवार की जानकारी देने वाला अन्य ब्यौरा, जहां असुरक्षित मतदाता है*	*कॉलम 2 में पता लगाए गए मकान/परिवार में निर्धारित असुरक्षित मतदाताओं की संख्या*	*परिवार का टेलीफोन नं., यदि कोई हो*	*की गई/प्रस्तावित कार्रवाई*	*टिप्पणियां*
1	2	3	4	5	6
कुल					

ख. पता लगाए गए/डराने-धमकाने /मतदाताओं को गलत ढंग से आकर्षित करने से रोके गए व्यक्तियों की सूची

क्र.स.	*व्यक्ति का नाम*	*व्यक्ति का टेलीफोन नं./ पता*	*की गई/प्रस्तावित कार्रवाई*	*टिप्पणियां*
1	2	3	4	5
कुल				

सेक्टर ऑफिसर की रिपोर्ट का प्रपत्र (मतदान दिवस)

सेक्टर ऑफिसर का नाम ....

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम ....

मार्ग सं. ....

अभ्यर्थियों की सं. ....

मतदन केन्द्रों की सं.	केन्द्रीय सुरक्षा बल की तैनाती हां/नहीं	माइक्रों आब्सर्वर की तैनाती हां/नहीं	वीडियों कैमरा लगाया गया हां/नहीं	कुल मतदाता	क्या मॉक पोल किया गया हां/नहीं	मौजूद मतदान एजेंटों की सं.	दल अभ्यर्थी जिसका मतदान एजेंटों ने प्रतिनिधित्व नहीं किया	पहले दौर के समय डाले गए वोटों की संख्या (समय का उल्लेख करें)	दूसरे दौर के समय डाले गए वोटों की संख्या (समय का उल्लेख करें)	तीसरे दौर के समय डाले गए वोटों की संख्या (समय का उल्लेख करें)	क्या असुरक्षित मतदाताओं की पहचान की गई यदि हां तो उन्हें मतदान के लिए कब लाया गया है	क्या समय समाप्ति के बाद मतदान जारी रहा (हां/नहीं)	टोकन लेकर 5 बजे शाम के बाद वोट डालने वाले मतदाताओं की सं.	मतदान समाप्त होने पर डाले गए वोटों की कुल सं.	डाले गए कुल वोटों की सं.	क्या मशीन को बंद करके ठीक से सील किया गया (हा/नहीं)	क्या जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) द्वारा मतदान एजेंटों को 17 ग की प्रति दी गई (हां/नहीं)	क्या पीआरओं की डायरी 17क, 17क की जांच और मिलान किया गया	मतदान वाले दिन प्राप्त शिकायतें	प्रत्येक शिकायत का स्रोत, उसकी प्राप्ति और अनुवर्ती कार्रवाई	क्या फिर से मतदान की सिफारिश की गई है (हां/नहीं)	क्या मशीन और सांविधिक कागजात स्ट्रांग रूम में जमा कराए गए (हां/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23